न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड़

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 76 / 2018 (75 एलआरए) रमेशचंद बनाम गोविंदसिंह
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00096)

रमेशचंद पुत्र श्री नेमीचंद जैन आयु 68 वर्ष जाति जैन निवासी ग्राम दुधालिया तहसील गंगधार जिला झालावाड़।

..... अपीलांट

बनाम

गोविंदसिंह पुत्र हिंदुसिंह जाति राजपूत निवासी महुडिया ग्राम पंचायत रावतपुरा जनपद पंचायत आलोट जिला रतलाम मध्यप्रदेश।

..... रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश तहसीलदार डग दिनांक 02.08.2014
अंतर्गत नामांतरकरण सं. 1393 ग्राम दुधालिया

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद तोकीर आलम।

2 रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 28.02.2020

1 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार डग के नामांतरकरण सं. 1393 ग्राम दुधालिया में पारित आदेश दिनांक 2.08.2014 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम पेश कर अपील पेश करने में हुई देरी को केडोन करने का निवदेन किया है।

2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ग्राम दुधालिया तहसील गंगधार की आराजी ख0न0 1400 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा का रेकार्डेड खातेदार है, अपीलान्ट ने खाते की नकल प्राप्त की तो वह इन्तकाल नं0 1393 से रेस्पो0 के नाम दर्ज होने की जानकारी हुई। उक्त नामान्तकरण प्रशासन गॉव के संग शिविर में हुए आदेश के आधार पर खोला गया है। अपीलान्ट ने आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया किन्तु 6 माह तक नकल नही मिलने पर

उपखण्ड अधिकारी महोदय को दिनांक 31.03.2018 को प्रार्थना पत्र दिया जिस पर दिनांक 13.04.2018 को मूल प्रा0पत्र इस रिपोर्ट के साथ लौटाया गया कि इस कार्यालय में बहुत तलाश की गई परन्तु इस प्रकार की कोई पत्रावली व आदेश इस कार्यालय में मोजूद नही है। पटवारी जी के उपलब्ध नही होने तथा पटवारियों की हडताल हो जाने के कारण इन्तकाल की नकल दिनांक 17.05.2018 को प्राप्त हुई जिससे ज्ञात हुआ कि क्रेता हिन्दु सिंह ने विक्रय के जर्ये खरीदी थी तथा उसके फोत हो जाने के कारण उसके पुत्र गोविन्द सिंह के नाम इन्तकाल खोला गया है। यह इन्तकाल 46 वर्ष बाद खातेदार अपीलान्ट रमेश को सूचना दिये बिना तथा किसी प्रकार की कोई जांच किये बिना रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नामान्तकरण खोल कर तस्दीक कर दिया गया है, जिसकी कोई सूचना अपीलान्ट को नही दी गई। इन्तकाल बिना खातेदार को सुने हुए तथा कथित बैचान दिनांक 10.04.72 के आधार पर खोला गया है। तथाकथित विक्रय यदि कोई है तो वह फर्जी है, विक्रय पत्र की नकल भी प्राप्त नही हो सकी है, अपीलान्ट ने कभी भी किसी को अपनी आराजी नही बेची है। इन्तकाल खोलने से पहले कब्जे की कोई तहकीकात नही की गई न ही अपीलान्ट को कोई नोटिस दिया गया। वर्ष 2006 में अपीलान्ट को आवश्यकता होने पर तहसील द्वारा पटवारीजी की तस्दीक पर प्रमाण पत्र दिया हुआ है कि आराजी अपीलान्ट के स्वामित्व कब्जे काश्त की है उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति का किसी प्रकार का हित स्वामित्व व अधिकार नही है। दिनांक 17.05.18 को नामान्तकरण की नकल मिलने पर पूर्ण जानकारी हुई तारीख ज्ञान से अपील अन्दर मियाद है। अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जावे जिसका प्रा0पत्र मय शपथ पत्र पृथक से संलग्न है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तकरण सं0 1393 दिनांक 02.08.2014 को निरस्त फरमाया जावे।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद तोकीर आलम ने अपील में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्ष 1972 का बेचान बताया है परन्तु कोई विक्रय पत्र पेश नही किया है। 6 माह तक उक्त आदेश की नकल नही मिली उपखण्ड अधिकारी गंगधार द्वारा नकल के संबंध में कोई रेकार्ड उपलब्ध नही होना बताया है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एव पत्रावली पर उपलब्ध संग्रहसार के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अपील पेश करने में हुई देरी के लिये प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है जिसे स्वीकार करते हुए अपील अन्दर मियाद मानी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया

जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया।

5 रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पोडेंट को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड पत्र प्रेषित किये गये परंतु तामील नहीं हुए अतः प्रकरण में प्रतिस्थापित तामील समाचार पत्र में प्रकाशित करवा कर करवाई गई।

6 अपीलांट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा–5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि इंतकाल नं. 1393 प्रशासन गांव के संग शिविर में हुए आदेश के आधार पर अपीलांट को बिना सुने खोला गया है। तथा इसकी जानकारी नकल मिलने पर दिनांक 17.05.2018 को अपीलांट को हुई। प्रकरण में रेस्पोडेंट अनुपस्थित है अतः प्रकरण के तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मध्यनजर अपीलांट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8 अपीलांट के अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि ग्राम दुधालिया तहसील गंगधार की आराजी ख0न0 1400 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा का अपीलांट रेकार्डेड खातेदार है, उक्त नामान्तकरण प्रशासन गॉव के संग शिविर में हुए आदेश के आधार पर खोला गया है। इन्तकाल की नकल दिनांक 17.05.2018 को प्राप्त हुई जिससे ज्ञात हुआ कि क्रेता हिन्दु सिंह ने विक्रय के जर्ये खरीदी थी तथा उसके फोत हो जाने के कारण उसके पुत्र गोविन्द सिंह के नाम इन्तकाल खोला गया है। यह इन्तकाल 46 वर्ष बाद खातेदार अपीलान्ट रमेश को सूचना दिये बिना तथा किसी प्रकार की कोई जांच किये बिना रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नामान्तकरण खोल कर तस्दीक कर दिया गया है, जिसकी कोई सूचना अपीलान्ट को नही दी गई। इन्तकाल बिना खातेदार को सुने हुए तथा कथित बैचान दिनांक 10.04.72 के आधार पर खोला गया है। तथाकथित विक्रय यदि कोई है तो वह फर्जी है, विक्रय पत्र की नकल भी प्राप्त नही हो सकी है, अपीलान्ट ने कभी भी किसी को अपनी आराजी नही बेची है। इन्तकाल खोलने से पहले कब्जे की कोई तहकीकात नही की गई न ही अपीलान्ट को कोई नोटिस दिया गया।

अपीलांट के अधिवक्ता के उक्त तर्क के संबंध में नामांतरकरण सं. 1393 का अवलोकन किया। नामांतरकरण में अंकित है कि आदेश क्रमांक 1402–06/राजस्व/13 दिनांक 14.06.2013 द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय गंगधार एवं 10.04.1972 पु.सं. 1 पृष्ठ सं. 237 व 238 व पृष्ट सं. 280 पर पंजीकृत। मुताबिक विक्रय पत्र क्रेता हिंदूसिंह पि. भैरूसिंह राजपूत निवासी महुडिया म.प्र. ने साबिक खसरा नं. 1086 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि जिसका हाल खसरा नं. 100 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा है को जरिये रजि.क्रय

किया था उसके द्वारा क्रयशुदा भूमि का नामांतरकरण दर्ज नहीं करवाया था क्रेता फोत हो चुका है। प्रकरण में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय गंगधार के आदेश से खसरा नं. 1400 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर क्रेता वारिस गोविंदसिंह पि. हिंदूसिंह राजपूत निवासी महूडिया (म.प्र.) के पक्ष में नामांतरकरण दर्ज कर बाद जांच उचित आदेशार्थ पटवारी ने प्रस्तुत किया। भू–अभिलेख निरीक्षक ने पत्रानुसार अंकन सही है लिखा व नायब तहसीलदार डग ने दिनांक 12.08.2014 को नामांतरकरण स्वीकार किया है।

नामांतरकरण एवं उपखण्ड अधिकारी गंगधार के आदेश क्रमांक 1402–06 दिनांक 14.06.2013 जो नामांतरकरण के साथ संलग्न है से स्पष्ट होता है कि उक्त नामांतरकरण सं. 1393 उपखण्ड अधिकारी गंगधार के आदेश की पालना में खोला गया है। प्रस्तुत अपील में उपखण्ड अधिकारी के आदेश को निरस्त होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। नामांतरकरण की अपील में उपखण्ड अधिकारी गंगधार के उक्त आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता है और न ही नामांतरकरण की अपील में इस आदेश के गुणावगुण पर विचार किया जा सकता है। उपखण्ड अधिकारी गंगधार के आदेश को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराने की कार्यवाही करने के लिये अपीलांट स्वतंत्र है। अतः अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

9 अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार डग का नामांतरकरण सं. 1393 दिनांक 02.08.2014 ग्राम दुधालिया यथावत रखा जाता है।

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

10 निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2020.03.16 20:30:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: